"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई 2014—— आषाढ़ 17, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2014/29/511.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3861-62/1363/XXI-B/C. G./2014 दिनांक 02-05-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी गयी है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम-3 में दर्शाये गये जिलों में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के पद पर पदस्थ करता है :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)
1.	श्री भुनेश्वर राम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटघोरा.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम राजनांदगांव.
2.	श्री वीर सिंह सलाम, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम अम्बिकापुर.
3.	श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम जगदलपुर.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2014/29/513.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3863-64/1363/XXI-B/C. G./2014 दिनांक 02-05-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के श्री विजय कुमार एक्का, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अम्बिकापुर की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर उनकी सेवाएं आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को पीठासीन अधिकारी, वक्फ न्यायाधिकरण रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति में सौंपी गई है. अत: श्री विजय कुमार एक्का, अध्यक्ष, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2014/29/515.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3865-66/1363/XXI-B/C. G./2014 दिनांक 02-05-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जगदलपुर की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर विधि एवं विधायी कार्य विभाग में सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पद पर नियुक्त की गई है. अत: श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2014/29/517.—छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3963-64/1363/XXI-B/C. G./2014 दिनांक 07-05-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के श्री सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेकर माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ को सौंपी गई है. अत: श्री सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.